न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 45/2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1सोहनलाल 2राजूराम पुत्रान मदनलाल जातियान गुर्जर निवासीगण भंवरिया तहसील डेगाना जिला नागौर।		1उप तहसीलदार, सांजू तहसील डेगाना 2मंगलाराम पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर निवासी भंवरिया तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:31.03.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 49/2020 सरकार बनाम मंगलाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 19.08.2020 के तहत मौजा भंवरिया के खसरा नं. 53 रकबा 0.04 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 01.10.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू के प्रकरण सं. 49/2020 सरकार बनाम मंगलाराम व अन्य के फर्द अहकाम दिनांक 17.8.20 से 19.08.20 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 19.08.20 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, फोटो की फोटोप्रति, पुरानी खतौनी की फोटोप्रति तथा नक्शा की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना जवाब के अवसर दिये व साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये बिना ही किसी सुनवाई के निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के प्रतिकूल है। दिनांक 17.08.20 को नोटिस दिया और दिनांक 19.08.20 को निर्णय पारित कर दिया, जो विधि के सामान्य सिद्वान्तो के विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत पूर्व मे खसरा नं. 24 था, उसके पश्चात बंटवाडा होने पर उसके कुल चार खसरान बने। खसरा नं. 24, 129/24, 130/24 व 131/24, जो कुल मिलाकर 47 बीघा 02 बिस्वा है। यानि अपीलांट का खेत मौके पर आज मात्र 40 बीघा है। यानि अपीलांट व अन्य सह खातेदारो का खेत खातेदारी के हिसाब से मौके पर कम है। यानि अपीलांट के खेत के चिपते ही आबादी भूमि आयी हुई है और आबादी भूमि मे जिन लोगो के मकान व बाडे थे, उन लोगो ने अपीलांट के खेत पर अतिक्रमण कर लिया। अपीलांट द्वारा नाप करवाने पर उसे यह जानकारी हुई कि उसका खेत मौके पर कम है और पडोसियान के द्वारा अतिचार किया है, तो अपीलांट ने उनको अतिचार की गई भूमि को छोडने के लिये कहा, तब उन्होने अपीलांट के खिलाफ झूठी मनगढत आधार पर शिकायत कर दी। जिससे अपीलांट चुप हो जाये और उसके खेत पर जो उनके द्वारा अतिचार किया गया है, वो हटाना न पडे।

अपर कलक्टर, नागौर

जिससे शिकायतकर्ता ने पटवारी से मिलकर झूठी रिपोर्ट पेश करवायी। जबकि पटवारी द्वारा किसी भी तरह का नाप नही किया गया और न ही यह दर्शाया गया कि अपीलांट का बाड बनाकर कितनी चौडाई व कितनी लंबाई मे कब्जा किया हुआ है, मात्र मनगंढत रूप से 0.04 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करना बता दिया। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट उसी स्थान पर काबिज है, जिस स्थान पर उनके पूर्वज थे और अपीलांट का खेत आज भी मौके पर कम है यानि अपीलांट ने एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही किया और न ही कब्जा है। अगर अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या टीम गठित कर नाप करवा लेते, तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जो वास्तविक मौके की स्थिति व रेकर्ड के विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उल्लेख किया है कि अपीलांट ने कोई जवाब नही दिया, इसका तात्पर्य यह है कि उसका कब्जा है, इसलिये अतिक्रमी घोषित किया जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को बिना किसी साक्ष्य सबूत का अवसर दिये और पटवारी से भी बिना किसी साक्ष्य व बिना मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–रास्ता खोलो अभियान के तहत पटवारी डावोलीमिठी द्वारा मौजा भंवरिया के खसरा नं. 53 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता पर अपीलांट का अतिक्रमण करना बताया है, जबकि मौके पर रास्ता मौजूद है। रास्ता सैकडो वर्षो से निर्विवाद रूप से इसी स्थान पर चल रहा है और रास्ते पर जिनका वास्तविक मे अतिक्रमण है, उनको पटवारी द्वारा न तो नोटिस दिया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई, मात्र अपीलांट को परेशान करने की नियत से मनगढंत तथ्यो के आधार पर अतिक्रमण बताकर रिपोर्ट पेश कर दी और उस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज करने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या तहसीलदार या उप तहसीलदार या रेवेन्यु निरीक्षक की टीम गठित कर मौके का यानि अपीलांट के खेत का मुस्तकिल पाइंट से नाप करवाया जाता है और आबादी भूमि का नाप करवाया जाता है तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी और टीम के द्वारा अगर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट अविलम्ब कब्जा हटाने के लिये तैयार है। परंतु अपीलांट का खेत मौके पर कम है। उसने अतिचार नही किया और इस आदेश की पालना मे उनकी बाड हटा दी जाती है तो उनके संवैधानिक अधिकारो की हत्या होगी और उनके हितो पर भारी कुठाराघात होगा। वर्तमान मे अपीलांट के खेत मे फसल परिपक्व अवस्था मे है, अगर आदेश की पालना मे उसकी बाड हटा दी जाती है तो आवारा पशु उसकी फसलो को चट कर देगे और उन्हे भारी आर्थिक नुकसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह के मुआवजे से नही हो सकेगी। इसलिये न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के अनुसार रेवेन्यु रेकर्ड के अनुसार अपीलांट के खेत का नाप कर और आबादी भूमि का नाप कर वास्तविक मार्ग का सीमाकंन किया जाता है तो अपीलांट के साथ न्याय होगा और वास्तविक स्थिति सामने आयेगी। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने जो बिना किसी शहादत सबूत और विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जो आदेश पारित किया है। वो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट का खेत रास्ते की तरफ कम से कम 76 फुट कम है, जो इस बात का द्योतक है कि अपीलांट का रास्ते की भूमि पर लेसमात्र भी कब्जा नही है। अपीलांट गुर्जर जाति के है, पूर्वज अनपढ थे, जिनका नाजायज फायदा उठाकर रास्ता भी उनके खेत मे ही निकाल दिया गया, मूल रास्ता पर कब्जा कर लिया गया और जब अपीलांट को ही अतिक्रमी माना जा रहा है। जो स्वतंत्र भारत मे किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारो पर कुठाराघात है। अगर मौके पर जाकर पटवारी अपीलांट के खेत का नाप करता और रास्ते का सही ढंग से सीमांकन करता, तो वो अपीलांट को कभी भी अतिचारी नही मानता। परंतु पटवारी द्वारा बिना किसी जांच के बिना किसी नाप के अपीलांट को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी बता दिया, जो अपीलांट के साथ सरासर अन्याय है, ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–इसी रास्ते पर पूर्व मे ग्रेवल सडक बनी, फिर डामरीकरण हुआ और उसके पश्चात गौरव पथ बना। जिस पर सरकारी खर्चा लगभग चालीस लाख रू. हुआ। जो आज मौके पर मौजूद है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अगर रास्ता वर्तमान मे चल रही सडके के स्थान पर नही होता, तो सरकार

अपर कलक्टर, नागौर

द्वारा उस स्थान पर न तो सडक बनती और न ही गौरव पथ बनता और उस समय भी पटवारी या रेवेन्यु अधिकारी के सीमा ज्ञान के आधार पर ही सरकारी खजाने का उपयोग किया गया। यानि गौरव पथ बनाया गया। उस समय किसी ग्रामवासी या पटवारी या तहसीलदार द्वारा रास्ता इस स्थान पर नही होने की शिकायत की यानि गौरव पथ बनते समय किसी ने भी कोई भी शिकायत नही की। परंतु जब अपीलांट ने अपने खेत की भूमि पर अतिचार करने वालो को कब्जा हटाने के लिये कहा, तो उन्होने उसे दबाने की नियत से झूठी शिकायत पेश की और पटवारी ने शिकायतकर्ता ने कहा अनुसार झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि अपीलांट का गै.मु. रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नही है।

{2}(VIII)–पटवारी को पूर्व मे सीमा ज्ञान का निर्देश मिला, तो उसने कहा कि मुझ अकेले के द्वारा सीमा ज्ञान करना मुमकिन नही है। टीम गठित करने से ही सही सीमा ज्ञान होगा, परंतु बाद मे पटवारी द्वारा ही अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है जिससे भी पटवारी की रिपोर्ट संदेहजनक है और उस रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण मानना गलत है। ऐसी स्थिति मे भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलांट के खेत का मुस्तकिल पोइंट से नाप करवाकर अपीलांट के विरूद्व अगर उसका कब्जा पाया जाता है तो अतिक्रमी मानकर कार्यवाही करना न्याय संगत था। जब तक सही सीमा ज्ञान नही होता, तब तक अपीलांट को बेदखल करना न्याय संगत नही होने से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा भंवरिया में स्थित रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भंवरिया के खसरा नंबर 53 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट्स उपस्थित भी हुए है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जिसके चिपती ही अपीलांट्स की खातेदारी भूमि होना बताया गया है। अपीलांट्स द्वारा यह भी बताया गया कि मौके पर नाप चोप कर अतिक्रमण बताया जाता है तो वो छोडने हेतु तैयार भी है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नाप चोप हेतु एक टीम गठित की जाकर मौके पर आराजी भूमि की पैमाईश मुस्तकिल पाईन्ट निर्धारित कर पूर्व सूचना देकर अपीलांट्स की मौजूदगी मे करवायी जावे तथा नाप चोप मे यदि अपीलांट्स का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलांट्स तत्काल अतिक्रमण हटाकर अधीनस्थ न्यायालय मे अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य मे अतिक्रमण नही करने का शपथ पत्र पन्द्रह दिवस मे प्रस्तुत करेगें। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जायेगा। यदि अतिक्रमण नही हटाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत कायम रहेगा।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर,
नागौर